

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी—

शिव चरण मीना  
आर.ए.एस.  
तारीख निर्णय  
14.02.2023

मिसल नम्बर  
65 / 2016 / प्रा.पत्र / 2016

तारीख दायरा  
31.08.2016

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

.....आवेदक

बनाम

- 1—श्री प्रदीप सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह राजपुरोहित जाति राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितों को मोहल्ला शुभदण्ड तह. लूणी जिला जोधपुर विक्रेता मैसर्स श्री कृष्णा बीकानेर मिष्ठान भण्डार बडौदा बैंक के सामने जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
- 2—श्री माणक सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भोपाल सिंह राजपुरोहित निवासी राजपुरोहितों को मोहल्ला शुभदण्ड तह. लूणी जिला जोधपुर विक्रेता मैसर्स श्री कृष्णा बीकानेर मिष्ठान भण्डार बडौदा बैंक के सामने जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक
- 3—मैसर्स श्री कृष्णा बीकानेर मिष्ठान भण्डार बडौदा बैंक के सामने जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

- 1—पेरोकार सरकार।
- 2—अप्रार्थी श्री माणक सिंह स्वयं।

:-निर्णय:-

दिनांक 14.02.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.03.2016 को समय 01:30 पी.एम पर मैसर्स श्री कृष्णा बीकानेर मिष्ठान भण्डार बडौदा बैंक के सामने जयपुर रोड टोडारायसिंह जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री प्रदीप सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री नारायण सिंह राजपुरोहित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री प्रदीप सिंह राजपुरोहित ने श्री माणक सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री भोपाल सिंह राजपुरोहित को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु काउन्टर में एक ट्रे में लगभग 5 किलोग्राम **मिल्क केक** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रदीप सिंह राजपुरोहित को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ

सुपुर्द कर बताकर कि यह **मिल्क केक** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है. 2 किलोग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिल्क केक** कुल 2 किलोग्राम को चार साफ व सूखी कांच की शिशियों में प्रत्येक में 500 ग्राम रखकर चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-1294 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-1294 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपड़ी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/1723 दिनांक 25.04.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./171/एक्ट/2016/220 दिनांक 12.04.2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **मिल्क केक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री माणक सिंह राजपुरोहित स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में जुर्म स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिल्क केक** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिल्क केक** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के

अन्तर्गत जुमाने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(शिवे चरण मीना)  
न्यायाधीश एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोक-राज0